दिनांक–24.04.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पत्थर भू–खण्डों की बंदोबस्ती के संबंध में विभिन्न कार्य विभागों के साथ आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
3. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
5. निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
6. क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। पत्थर भू–खण्डों की बंदोबस्ती के समीक्षा के क्रम में निम्न तथ्य स्पष्ट हुए :–

1. बैठक में निदेशक, खान द्वारा राज्य में पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि राज्यान्तर्गत वर्तमान में मात्र 04 पत्थर भूखण्ड संचालित है, जिसमें शेखपुरा जिले में 03 एवं नवादा जिले में 01 पत्थर भूखण्ड सम्मिलित है। शेखपुरा में संचालित 03 पत्थर भूखण्डों में से 02 पत्थर भूखण्ड माह जून 2026 में तथा 01 पत्थर भूखण्ड अगस्त 2026 में समाप्त हो जायेंगे।
2. सभी संबंधित कार्य विभागों के साथ की गयी समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि वर्तमान में राज्य, निर्माण कार्यों हेतु पत्थर की आपूर्ति के लिए मुख्यतः अन्य राज्यों पर निर्भर है। अन्य राज्यों से पत्थर की क्रय किये जाने के फलस्वरूप ढुलाई दूरी आधारित लागत (Lead Cost) में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी परियोजनाओं के प्राक्कलन में वृद्धि हो रही है एवं राज्य को अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
3. समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि अन्य राज्यों से पत्थर क्रय करने पर होने वाले व्यय की तुलना में राज्य में पत्थर का प्रचलित रॉयल्टी दर अपेक्षाकृत कम है तथा राज्य में पत्थर भूखण्डों का क्षेत्रफल सीमित है। राज्य में पत्थर का रॉयल्टी दर बढ़ाया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है।

उक्त के आलोक में राज्यान्तर्गत पत्थर का रॉयल्टी दर 500 रू0 प्रति घनमीटर निर्धारित करते हुए नियमानुसार पत्थर भूखण्डों की बंदोबस्ती ई–नीलामी के माध्यम से किये जाने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –
(मिहिर कुमार सिंह)
विकास आयुक्त, बिहार।

P.T.O.

ज्ञापांकः– 01/लघु खनन(स्टो0)–05/16............................एम0, पटना, दिनांक :–......................

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– 01/लघु खनन(स्टो0)–05/16.....2820.....एम0, पटना, दिनांक :–....28/04/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/तकनीकी कोषांग/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) हेतु प्रेषित।

28/04/26.
अपर सचिव